– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सुखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल में खेत खसरा नम्बर 5697/217 रकबा 1.1210 हैक्टेयर जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गीतादेवी, नेमीचंद एवं रामदेव के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव यक स्टाम्प भाुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 23/9/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner